सोशल मीडिया सेल जनपद आजमगढ़

पत्र सं0-97/2023

दिनांक- 16 मार्च 2023

प्रेस-विज्ञ<u>प्ति</u> <u>थाना-गम्भीरपुर</u> अवैध तमंचा व कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

आज दिनांक 16.03.2023 को थानाध्यक्ष विजय प्रकाश मौर्य मय हमराह को सूचना मिली कि एक बदमाश नाजायज असलहा लिये पटेल ढाबा तिराहा हाइवे पर खड़ा है यदि जल्दी किया जाय तो पकड़ा जा सकता है इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुँचकर उक्त व्यक्ति को समय करीब 09.15 बजे पटेल ढाबा के पास ही पकड़ लिया गया पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो अपना नाम बिस्मिल्लाह अहमद पुत्र कबड्डू अहमद निवासी निजामुद्दीनपुर थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर उम्र करीब 28 वर्ष बताया जिसकी जामा तलाशी ली गयी तो पहने हुये पैंट के बायी तरफ कमर मे खुसा हुया एक अदद नाजायज तंमचा .315 बोर व पैन्ट की दाहिनी जेब से एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ वाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त

बिस्मिल्लाह अहमद पुत्र कबड्डू अहमद निवासी निजामुद्दीनपुर थाना दुल्लहपुर जनपद गाजीपुर उम्र करीब 28 वर्ष **पंजीकृत अभियोग**:-

मु.अ.स. 81/2023 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

आपराधिक इतिहास

मु.अ.स. 57/22 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु कूरता अधि0 थाना हलधरपुर जनपद मऊ

गिरफ्तारी करने वाली टीम

1. विजय प्रकाश मौर्य थानाध्यक्ष मय हमराह थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

<u>थाना बिलरियागंज</u> किशोरी को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोपी गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 07.03.2023 को आवेदिका थाना विलिरयागंज जिला आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर शिकायत किया कि उसकी नाबालिक लड़की को विपक्षी शैलेश उर्फ गोरख पुत्र रुपचन्द राम द्वारा शादी का झांसा देकर शारिरीक सम्बन्ध बनाया गया तथा पीड़िता को गर्भ ठहरने पर उसके बच्चे को गिरवाने की वात कहते हुऐ धमकी दिया गया, जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 99/2023 धारा 376(3)/506 भादिव व 3/4(2) पाक्सो एक्ट बनाम 1. शैलेश उर्फ गोरख 2. मिथलेश 3. अम्बेश पुत्रगण रुपचन्द निवासीगण फुलवरीयाँ थाना बिलिरयागंज आजमगढ़ पंजीकृत किया गया है। जिसमे नामित अभियुक्त शैलेश उर्फ गोरख को आज दिनांक 16.03.2023 को गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तारी का विवरण:-

दिनांक 16.03.2023 को थानाध्यक्ष मय हमराहीयान द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त शैलेष उर्फ गोरख को शेखूपुर पुलिया समय करीब 09.55 बजे हिरासत पुलिस लिया गया। अन्य वैधिका कार्यवाही अमल मे लायी जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त

- 1. शैलेष उर्फ गोरख पुत्र रूपचन्द निवासी फुलवरियां थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़। पंजीकृत अभियोग-
- 1. मु0अ0सं0 धारा 376(3)/506 भादिव व 3/4(2) पाक्सो एक्ट एक्ट थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़। गिरफ्तारी स्थान
- शेखूपुर पुलिया थाना बिलिरयागंज जनपद आजमगढ़।
 गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-
- 1. थानाध्यक्ष ब्रह्मदीन पाण्डेय मय हमराह थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

थाना कोतवाली जीयनपुर गोवध अधिनियम में एक गिरफ्तार

पूर्व की घटना का विवरण - दिनांक – 29/09/2022 को वादी मुकदमा 30नि0 शंकर कुमार यादव मय हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान 04 राशि गोवंश व एक अदद पिकप UP 44 BT 0774 के सम्बन्ध में पिकप UP 44 BT 0774 का चालक नाम पता अज्ञात व 02 व्यक्ति नाम पता अज्ञात पंजीकृत है। जिसकी विवेचना व.उ.नि. देवेन्द्र कुमार सिंह द्वारा सम्पादित की जा रही है। विवेचना से अभियुक्त

तुफेल अहमद पुत्र अकील अहमद ग्राम खलिसपुर भटौली थाना मालीपुर जनपद अम्बेडकर नगर का नाम प्रकाश मे आया विवेचना के क्रम में

गिरफ्तारी का विवरण –

दिनांक 15/03/2023 को व030नि0 देवेन्द्र कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त तुफेल अहमद पुत्र अकील अहमद ग्राम खिलसपुर भटौली थाना मालीपुर जनपद अम्बेडकर नगर को कस्बा मालीपुर अम्बेडकर नगर से समय करीब 14.15 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

<u>पंजीकृत अभियोग</u> – मु0अ0सं0 599/22 धारा 3/5ए/8गौ0नि0 अधिनियम व 11 पशु क्रुरता अधि0 थाना-जीयनपुर आजमगढ़। **आपराधिक इतिहास** – मुकदमा उपरोक्त।

गिरफ्तार अभियुक्त -

1- तुफेल अहमद पुत्र अकील अहमद ग्राम खलिसपुर भटौली थाना मालीपुर जनपद अम्बेडकर नगर।

गिरफ्तारी करने वॉली टीम –

1. व.उ.नि. देवेन्द्र कुमार सिंह मय हमराह थाना जीयनपुर , आजमगढ़।

थाना कोतवाली जीयनपुर दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार

पूर्व की घटना का विवरण - दिनांक 12.3.2023 को वादी थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर शिकायत किया कि दिनांक 10.03.2023 को समय 11.00 वजे बहन उम्र 17 वर्ष को शिन पुत्र धर्मेन्द्र राजभर नि0 करसडा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ द्वारा वहला फुसलाकर भगा ले गया, के सम्बन्ध में दाखिल किया कि दाखिला तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 165/23 धारा 363,366 भादिव बनाम 1. शिन पुत्र धर्मेन्द्र राजभर नि0 करसडा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ पंजीकृत हुआ जिसकी विवेचना उ.नि. सौरभ कुमार सिंह द्वारा की जा रही है। विवेचना से मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अपहृता उम्र 15 वर्ष 7 माह है बरामदगी व बयान के आधार पर धारा 376 भादिव व 4(2) पाक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी है विवेचना के क्रम में

<u>गिरफ्तारी का विवरण</u> —आज दिनांक 16/03/2023 को उ0िन0 सौरभ कुमार सिंह मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त शिन पुत्र धर्मेन्द्र राजभर नि0 करसडा थाना- अतरौलिया जनपद- आजमगढ़ को कस्बा जीयनपुर आजमगढ़ पास से समय करीब 08.15 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग -

1-मु**0अ0सं0 - 165/2023 धारा - धारा 363/366**/376 भादवि व 4(2) पाक्सो एक्ट थाना-जीयनपुर आजमगढ़। **आपराधिक इतिहास** – मुकदमा उपरोक्त।

गिरफ्तार अभियुक्त –

1- शनि पुत्र धर्मेन्द्र राजभर नि0 करसडा थाना- अतरौलिया जनपद- आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

1. उ.नि. सौरभ कुमार सिंह मय हमराह थाना जीयनपुर , आजमगढ़।